102

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/0926

कमलसिंह आंजना

मानवीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी

रिंकू कुंवर पति चन्द्रभानसिंह उम्र 30 वर्ष
व्यवसाय गृहणी, निवासीगण ग्राम गोठड़ा
तहसील जावरा जिला रतलाम म.प्र.

–– आवेदक

विरूद्ध

1. कचरू पिता स्वरूप जी, जाति गायरी,
2. पर्वत पिता स्वरूप जी, जाति गायरी,

निवासीगण ग्राम गोठड़ा तहसील जावरा जिला रतलाम म.प्र. –– अनावेदकगण

श्री कमलसिंह आंजना अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24/1/18 मेरे उपस्थित पर प्रस्तुत 24.1.18

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा डोढ़र तहसील जावरा जिला रतलाम के प्र.क्र. 06/अ–70/16–17 में पारित आदेश दिनांक 21–12–2017 के विरूद्ध यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम गोठड़ा तहसील जावरा जिला रतलाम की भूमि सर्वे नंबर 319 रकबा 0.900 हे. व 320 रकबा 2.00 हे. स्थित भूमि का सीमांकन आवेदक को बगैर सूचना दिये व बगैर नोटिस जारी किए करवा लिया गया है जबकि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नंबर 312 जो कि सर्वे नंबर 319 व 320 से लगी हुई है व आवेदक की भूमि पर अनावेदकगण का अप्राधिकृत कब्जा बताया गया है व सीमांकन के आधार पर ही अनावेदकगण द्वारा एक वाद नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 का प्रस्तुत कर दिया गया है जिस पर आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार महोदय टप्पा ढोढर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर

3

..2

XXIX(a)-BR(H)-11

(8)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/926

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कमल सिंह आंजना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	